

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या-25/2015



श्रवण पुत्र जीवणराम जाति बंजारा निवासी बगडावा तहसील नीमकाथाना
जिला सीकर

—बनाम—

तहसीलदार नीमकाथाना भूमिधारी सीकर

—रेस्पोंडेन्ट—

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक
22.8.2001 द्वारा अपर जिला
कलेक्टर सीकर।

—0—

उपस्थिति—

- 1—श्री बजरंग सिंह शेखावत ऐडवोकेट—अपीलान्ट
- 2—श्री पोकरमल राजकीय अधिवक्ता—रंस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक—23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र भू-आवंटन निरस्त करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बगडावा में आराजी ख0नं0-591/1/1 में से 0.33 हैक्टर का आवंटन दिनांक 19-6-1999 को बीरबल पुत्र सरदारा बंजारा को किया गया जो नियम विरुद्ध किया गया है जिसे निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आराजी का राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जा चुका है जिसकी जमाबन्दी सं०-2057 से 2060 मैने पेश की है जिसमें गैर खातेदारी का नोट दर्ज कर दिया गया। यह अंकन भी तहसीलदार द्वारा किया गया है अब तहसीलदार द्वारा यह प्रार्थना पत्र नियमों के विपरित पेश किया है जिस पर अदालत मातहत ने नियमों की अनदेखी कर आदेश पारित किया है। बहस के समर्थन में कानूनी नजीर आर आर डी 1973 पेज- 800 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।



विद्वान वकील रेस्पोजेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित दिया है विवादित आराजी की किस्म गैर मु० पहाड़ दर्ज है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता। यह आराजी राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-16 में वर्जित है जिसका न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। भू-आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन के पूर्व आवंटन नियम 1970 के नियमों की कोई पालना न कर आवंटन किया है जो नियमों के विपरित है। आवंटन की अधिसूचना 15 दिन पूर्व जारी की जानी चाहिये किन्तु भू-आवंटन सलाहकार समिति ने इस अवधि को घटाकर केवल-7 दिन कर दिया जो आवंटन नियमों के विपरित है। अदालत मातहत ने अपना आदेश सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटित भूमि की किस्म गै० मु० पहाड़ दर्ज है। गै० मु० पहाड़ राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्जित (प्रतिबन्धित) भूमि है। जिसका न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही नियमन किया जा सकता है। आवंटन से पूर्व आवंटन राज० भू-राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई। आवंटन बंजारा जाति के सदस्यों को की गई है। जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं किन्तु गै० मु० पहाड़ का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता विद्वान वकील अपीलान्ट ने कानूनी नजीर आर आर डी 1973 पेज 800 पेश की है उसमें आराजी की किस्म भिन्न है इसमें आराजी आवंटन योग्य है। इस कारण प्रस्तुत नजीर के तथ्य भिन्न

प्रमुख अधिकारी एवं
पट्टे राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते।



अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 22.08.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया।

(Signature) 23/3/18
(भंवरलाल सेहसड़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर